न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 935–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 91/अपील/2011–12.

ऊषा बाई पत्नी आदर्श कुमार
निवासी ग्राम सुवासरा जिला मंदसौर ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– सत्यभामा पति स्व. बापुलाल
2– संतोष पिता बापुलाल
3– महिमानन्द पिता बापुलाल
निवासीगण ग्राम गुराडिया प्रताप
हाल मुकाम ग्राम सुवासरा जिला मंदसौर .....प्रत्यर्थीगण

श्री एस0के0 बाजपेयी अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री के0के0 द्विवेदी,, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क. 1 से 3
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक प्रत्यर्थी कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, मन्दसौर के समक्ष संहिता की धारा 107, 125, 89, 115 एवं 116 के अंतर्गत ग्राम गुराड़िया प्रताप पटवारी हल्का नम्बर 53 तहसील सुवासरा स्थित वादग्रस्त भूमि के नक्शे में दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–9/10–11 दर्ज कर दिनांक 12–8–2011 को संहिता की धारा 107 के अंतर्गत आदेश पारित कर नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–1–2014 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि के भूखण्डों का कुल रकबा 8.899 हेक्टेयर है तथा नक्शे में सुधार करने के पश्चात भी अपीलार्थी की भूमि के रकबे में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । यह भी कहा गया कि प्रतिवेदन से वर्तमान नक्शा त्रुटिपूर्ण होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पुराने सर्वे कमांक 349/2 रकबा 0.220 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 350/2 रकबा 0.679 हेक्टेयर जिस प्रकार से निर्मित थे, उसी के अनुरूप नक्शा सुधार किये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार एवं बिना कारण के अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अपर आयुक्त के मत में प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, तब अपर आयुक्त को उचित निर्देशों के साथ प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था, अपीलार्थी को न्याय से वंचित रखने का विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्कों के समर्थन में 1986 आर.एन. 208 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कय की जाकर सीमांकन कराया गया है,

और उसके स्वत्व की भूमि पर बाउण्ड्री के पिलर आदि लगवा दिये लेकिन बाद में बेईमानपूर्वक नक्शा दुरूस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, और अपर कलेक्टर द्वारा प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना नक्शा दुरूस्ती का आदेश दिया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 4 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाये ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार से जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया है, और तहसीलदार द्वारा विस्तृत जांच की जाकर, प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अपर कलेक्टर को भेजकर नक्शे में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत् सुनवाई की जाकर नक्शे में संशोधन करने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को केवल इस आधार पर अवैधानिक ठहराते हुए निरस्त किया गया है कि आवेदन पत्र में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि नक्शा दुरूस्त होने से स्थल पर एक इंच भूमि भी प्रभावित नहीं हो रही है, इसीलिये अन्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि आदेश के अवलोकन एवं उसके कियान्वयन में आने वाली कठिनाई सम्बन्धी पटवारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलीर्थी के रकबे में 0.99 हैक्टेयर भूमि की बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे पड़ोसी काश्तकार प्रभावित हुए हैं, जिन्हैं पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि पटवारी के प्रतिवेदन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी के रकबे में 0.99 हैक्टेयर की वृद्धि हुई है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित नहीं होकर अवैधानिक आदेश है । यदि अपर आयुक्त के मत

में अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत् आदेश पारित नहीं किया गया था, तब संहिता की धारा 49 के अंतर्गत अपर आयुक्त को जांच कराकर अतिरिक्त साक्ष्य लेते हुए आदेश पारित करना था । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2014 निरस्त किया जाता है । अपर कलेक्टर मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–08–2011 स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर